न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बरेली।

पीठासीन–श्री प्रदीप कुमार सिंह–II, (उच्चतर न्यायिक सेवा)।

सत्र परीक्षण वाद सं0–255 सन् 2016 (सी0आई0एस0)

सत्र परीक्षण रजिस्टर कम सं0–255 सन् 2016

CNR No.-UPBR010027302016

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रति

1. **छोटेलाल** पुत्र **आसेराम उर्फ आसाराम,**
   निवासी ग्राम जोगीढेर, थाना अलीगंज, बरेली।
   हाल निवासी ग्राम मन्डोरा, थाना अलीगंज, बरेली।
2. **छुटिया उर्फ छुटइया** पुत्र **पुरवीराम,**
   ग्राम मंडोरा, थाना अलीगंज, बरेली।

मु0अ0सं0–122/2014
अन्तर्गत धारा 302 सपठित 34 भा0दं0सं0
थाना–अलीगंज, जिला–बरेली।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या 255/2016, मु0अ0सं0–122/2014, धारा 302 भा0दं0सं0, राज्य प्रति अज्ञात, थाना अलीगंज, जिला बरेली के मामलें में बाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर विचारण हेतु संस्थित हुआ है।

(I)–: फौजदारी वाद प्रारम्भ होने की परिस्थितियां :–

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का तहेरा भाई महेन्द्र पुत्र राम भरोसे निवासी ग्राम मण्डोरा, दिनांक 21.08.2014 समय करीब रात्रि 09.00 बजे दावत खाकर घर पर आया। करीब समय 10.00 बजे घर से अभी आने को कहकर चला गया जो केवल कच्छा पहने व अपना गमछा लपेटे था। जब काफी समय तक वापस नहीं आया तो वादी व अन्य परिवार वालों ने रात भर तलाश किया कहीं पता नहीं चला। प्रातः पता चला कि महेन्द्र की लाश ज्वाली पुत्र कढ़ेराम निवासी मानपुर, थाना आंवला, बरेली के धान के खेत में अंगोछे से गला बंधी हुई बबूल के पेड़ से लटकी हुई है जिसको वादी ने उतारकर वहीं पेड़ के नीचे रख दिया है।

3. उपरोक्त घटनाक्रम का वर्णन करते हुए थाने पर दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक

22.08.2014 को समय 08.20 ए0एम0 बजे, थाना अलीगंज, जनपद बरेली में प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–122/2014, अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 में अज्ञात के विरूद्ध दर्ज हुई।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी द्वारा अज्ञात में दर्ज कराये जाने के उपरान्त मामले की विवेचना के दौरान घटनास्थल पर विवेचक द्वारा पहुॅचकर शव का पंचायतनामा, चालान लाश, फोटो लाश, नमूना मोहर तैयार किये गये, सी0एम0ओ0 व आर0आई0 को चिट्ठी भेजी गयी। दौरान विवेचना अभियुक्तगण छोटे लाल व छुटिया उर्फ छुटइया के नाम घटना में प्रकाश में आये। मृतक के शव की परीक्षण आख्या संकलित की गयी। गवाहान के बयान लेकर अन्य साक्ष्य संकलित किये गये। बरादमगी स्थल शव का नक्शानजरी बनाया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा आरोपपत्र अभियुक्तगण छोटेलाल व छुटिया उर्फ छुटइया के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तैयार कर सम्बंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा आरोपपत्र पर दिनांक 07.04.2015 को प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन में नकलें दी गयीं तथा मामले को अनन्य रूप से सत्र परीक्षण पाते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त के मामले को दिनांक 24.02.2016 को सत्र सुपुर्द किया गया।

(II)–: न्यायालय के समक्ष विचारण :–

6. उपरोक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण छोटेलाल व छुटिया उर्फ छुटइया के विरूद्ध दिनांक 29.03.2016 को धारा 302 सपठित 34 भा0द0सं0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप विरचित करते हुए आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

7. अभियोजन द्वारा उपरोक्त विरचित आरोप को साबित करने हेतु आरोप–पत्र में नामित साक्षीगण व उनका विवरण निम्नवत् है–

अभियोजन साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी का विवरण
P.W. 1	जुगेन्द्र पुत्र श्री किशन लाल, निवासी मंडोरा, थाना अलीगंज, जिला बरेली।	वादी (भाई मृतक)
P.W. 2	उ0नि0 नवाब सिंह, घटना के समय तैनाती–थाना अलीगंज, जिला बरेली। साक्ष्य के समय तैनाती–थाना सेरा मऊ	चिक लेखक

	(उत्तरी), जिला पीलीभीत।	
P.W. 3	मेवाराम पुत्र बिलासी राम, निवासी ग्राम मंडोरा, थाना अलीगंज, जिला बरेली।	तथ्य साक्षी (चाचा मृतक)
P.W. 4	दीपक कुमार पुत्र सोहन लाल, निवासी ग्राम मंडोरा, थाना अलीगंज, जिला बरेली।	पंचायतनामा साक्षी (पिता मृतक)
P.W. 5	धर्मपाल पुत्र मेवाराम, निवासी ग्राम मंडोरा, थाना अलीगंज, जिला बरेली।	तथ्य साक्षी (भाई मृतक)
P.W. 6	डॉ0 टी0एस0 आर्य, घटना के समय तैनाती–पोस्टमार्टम हाउस, बरेली। साक्ष्य के समय तैनाती–जिला संयुक्त चिकित्सालय, बरेली।	पोस्टमार्टमकर्ता
P.W. 7	सेवानिवृत्त उ0नि0 अनवर खलील, निवासी मोहल्ला बुखारा, थाना कोतवाली, जिला बिजनौर। घटना के समय तैनाती–थाना अलीगंज, जिला बरेली।	साक्षी (पंचनामा)
P.W. 8	निरीक्षक राजेश यादव, घटना के समय तैनाती–थाना अलीगंज, जिला बरेली। साक्ष्य के समय तैनाती–थाना सिविल लाइंस, जिला मुरादाबाद।	विवेचक

8. अभियोजन साक्षीगण द्वारा साबित अभिलेखीय साक्ष्य का विवरण निम्नवत् हैं:–

प्रदर्श	**साक्षी द्वारा साबित दस्तावेज**	**अभियोजन साक्षी संख्या, जिसके द्वारा प्रपत्र साबित किया गया**
प्रदर्श क–1	तहरीर	P.W.-1
प्रदर्श क–2	पंचायतनामा	P.W.-1
प्रदर्श क–3	चिक एफ0 आई0आर0,	P.W.-2
प्रदर्श क–4	कायमी जी0डी0	P.W.-2
प्रदर्श क–5	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	P.W.-6
प्रदर्श क–6	नमूना मोहर	P.W.-7
प्रदर्श क–7	फोटो लाश	P.W.-7
प्रदर्श क–8	चालान लाश	P.W.-7

प्रदर्श क–9	रिपोर्ट आर0आई0	P.W.-7
प्रदर्श क–10	रिपोर्ट सी0एम0ओ0	P.W.-7
प्रदर्श क–11	नक्शा नजरी	P.W.-8
प्रदर्श क–12	फर्द बरामदगी खूनआलूदा	P.W.-8
प्रदर्श क–13	फर्द बरामदगी गमछा	P.W.-8
प्रदर्श क–14	गिरफ्तारी प्रपत्र 01 व 02	P.W.-8
प्रदर्श क–15	आरोपपत्र	दिनांक 26.05.2026 को प्रमाणिकता बचाव पक्ष द्वारा स्वीकृत की गयी।

9. अभियोजन साक्षीगण द्वारा साबित वस्तु प्रदर्श निम्नवत् हैं:–

प्रदर्श	साक्षी द्वारा साबित दस्तावेज	अभियोजन साक्षी संख्या, जिसके द्वारा वस्तु साबित किया गया
वस्तु प्रदर्श–1	मारकीन का कपड़ा	P.W.-8
वस्तु प्रदर्श–2	सफेद कपड़ा	P.W.-8
वस्तु प्रदर्श–3	सफेद कपड़ा	P.W.-8
वस्तु प्रदर्श–4	डिब्बी खून आलूदा मिट्टी	P.W.-8
वस्तु प्रदर्श–5	डिब्बी सादा मिट्टी	P.W.-8
वस्तु प्रदर्श–6	गमछा	P.W.-8

10. उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम दिनांक 26.05.2026 को अभियोजन द्वारा साक्ष्य समाप्त की गयी। तदुपरांत अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 06.06.2026 को दर्ज किये गये जिसमें बचाव पक्ष द्वारा बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया। तदुपरांत पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

11. पत्रावली के अध्ययन के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र की औपचारिक सत्यता बचाव पक्ष ने स्वीकृत की है परंतु उक्त प्रपत्र पर प्रदर्श अंकित नहीं किया गया है। अतः न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 15.07.2026 से उक्त प्रपत्र/आरोप पत्र पर प्रदर्श क–15 अंकित किया गया। तदुपरांत अभियुक्तगण का अतिरिक्त बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया जिसमें उन्होंने आरोप पत्र की अन्तरवस्तु स्वीकार न करने व केवल औपचारिक सत्यता स्वीकृत करने तथा आरोप पत्र फर्जी दाखिल होने का कथन किया है। अभियुक्तगण ने अतिरिक्त बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में मुकदमा रंजिश, पार्टीबन्दी, गलतफहमी के आधार पर चलने का कथन किया व सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है। अतिरिक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होने का कथन

किया है।

(III)–: अभियोजन साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य :–

12. अभियोजन की ओर से सर्वप्रथम **वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 जुगेन्द्र** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 07.12.2016 को कथन किया गया है कि आज से करीब सवा दो साल पहले रात के 9 बजे उसका तहेरा भाई महेन्द्र गांव से दावत खाकर घर आया था और सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक रात दस बजे यह कहकर घर से चला गया कि अभी आ रहा हॅू। काफी देर तक उसके वापस न आने पर उसको तलाश किया। उसका कोई पता नहीं चला। सुबह को महेन्द्र की लाश ज्वाला के धान के खेत में अंगौछा से गला बंधी हुई बबूल के पेड़ से लटकी मिली, जिसको उन्होनें वहीं पर पेड़ से नीचे उताकर नीचे धरती पर रख दिया। किसी ने उसके भाई की हत्या कर पेड़ पर लटका दिया था। इस बाबत एक तहरीर उसने बोलकर कैलाश भारती से लिखायी और सुनकर अपने हस्ताक्षर किये। साक्षी ने पत्रावली में शामिल तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है। शव का पंचायतनामा उसके व अन्य पंचों के सामने भरा गया था। उसे भी पंच नियुक्त किया गया था। पंचनामा भरने के बाद पंचायतनामा पर उसने अपने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए पंचायतनामा को **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है।

13. अभियोजन की ओर से बतौर साक्षी **पी0डब्लू0–2 उ0नि0 नवाब सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 24.09.2018 को कथन किया गया है कि दिनांक 22.08.2014 को वह थाना अलीगंज में हेड मोहर्रिर के पद पर कार्यरत था। उस दिन वादी जुगेन्द्र पाल द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर अ0सं0–122/2014, धारा 302 भा0दं0सं0 बनाम अज्ञात की एफ0आई0आर0 अपने लेख व हस्ताक्षर में किता की, जिसका खुलासा कायमी जी0डी0 नं0–16 पर किया गया। जी0डी0 की कार्बन प्रति पत्रावली पर मौजूद है, जो असल मुताबिक सही है। असल जी0डी0 उसके सामने है। चिक एफ0आई0आर0 व कायमी जी0डी0 की कार्बन प्रति पर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए चिक एफ0आई0आर0 को **प्रदर्श क–3** के रूप में एवं कायमी जी0डी0 को **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया गया है। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

14. अभियोजन की ओर से बतौर साक्षी **पी0डब्लू0–3 मेवाराम** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 07.01.2019 को कथन किया गया है कि मृतक

महेन्द्र कश्यप उसका भतीजा था। घटना आज से लगभग साढे चार साल पहले की है। मृतक जमीन खरीदने व बेचने का काम करता था तथा गांव में दो पक्षों में जमीन क्रय–विक्रय करने पर दलाली का काम भी करता था। गांव में अशोक मौर्या की खाली जगह घटना के समय पड़ी थी, जिसमें अशोक मौर्या के चाचा रामचन्द्र का हिस्सा था। अशोक मौर्या को जमीन के बंटवारे में मिली जमीन को गलत मानता था। अशोक मौर्या के चाचा रामचन्द्र ने दीपक प्रधान को जो जमीन बेची थी, इस जमीन को इस मुकदमे की घटना से पूर्व दीपक प्रधान नींव खुदवा रहा था। अशोक मौर्या ने नींव खुदवाने को मना किया, लेकिन दीपक प्रधान नहीं माना। तब महेन्द्र कश्यप(मृतक) ने भी इसका विरोध किया। महेन्द्र कश्यप के विरोध करने के कारण ही दीपक प्रधान उस जमीन पर अपना सेलर नहीं लगा पाया। अज खुद कहा कि दूसरी जगह लगाया। दीपक प्रधान के यहां अभियुक्त छोटेलाल आज से करीब बीस साल पहले से रह रहा था। बीस साल वाली बात अंदाज से बता रहा हूं। इससे कम–ज्यादा भी रह रहा था। अभियुक्त छोटेलाल दीपक प्रधान के घर का काम भी करता था। इसी कारण दीपक प्रधान व अभियुक्त छोटे लाल महेन्द्र कश्यप रंजिश मानने लगे। घटना से पूर्व दीपक प्रधान प्रधानी का चुनाव लड़ा था और उसके खिलाफ रामबहादुर सक्सेना भी प्रधानी का चुनाव लड़े थे। महेन्द्र कश्यप (मृतक) ने दीपक प्रधान का चुनाव नहीं लड़ाया था बल्कि रामबहादुर सक्सेना का चुनाव लड़ाया था। उसे नहीं मालूम कि महेन्द्र कश्यप से दीपक प्रधान व छोटेलाल चुनाव न लड़ाने के लिए रंजिश मानते थे या नहीं। वह अभियुक्त छुटिया उर्फ छुटइया को भी जानता है। उसे ध्यान नहीं है कि इस मुकदमे की घटना से पूर्व छुटिया उर्फ छुटइया को पुलिस ने जेल भेजा या नहीं। इस मुकदमे की घटना से पूर्व छुटिया उर्फ छुटइया जेल गया था। यह उसे नहीं मालूम कि छुटिया उर्फ छुटइया को जेल जाने के संबंध में मृतक महेन्द्र कश्यप पर शक था और वह महेन्द्र कश्यप से रंजिश मानने लगा। अब से लगभग साढ़े चार साल पहले महेन्द्र कश्यप जिस दिन शाम खाना खाकर घर से गया था, की लाश अगले दिन खेत में लटकी मिली थी। महेन्द्र कश्यप की हत्या के संबंध में जुगेन्द्र पाल ने थाना अलीगंज पर मुकदमा कायम कराया था।

15. अभियोजन की ओर से बतौर साक्षी **पी0डब्लू0–4 दीपक कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 17.01.2019 को कथन किया गया है कि अब से लगभग साढ़े चार साल पहले उसके गांव का महेन्द्र कश्यप पुत्र राम भरोसे कश्यप की लाश ज्वाला प्रसाद उर्फ ज्वाली के खेत स्थित ग्राम मानपुर में अंगोछे से गला बंधी हुई बबूल के पेड़ से लटकी हुई मिली थी। इसकी सूचना पर वह भी वहां गया था। गांव के अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। महेन्द्र कश्यप के परिवार के लोग भी मौजूद थे। बाद में पुलिस भी आ गयी थी।

पुलिस ने उसे व मौजूद लोगों में से अन्य लोगों को गवाह पंचान बनाकर मृतक महेन्द्र कश्यप की लाश को बबूल के पेड़ से नीचे उतार कर उन लोगों को दिखाकर उनकी राय लेकर पंचायतनामे की कार्यवाही की तथा उन्हें पढ़कर सुनकर पंचायतनामे पर उसके व जुगेन्द्र व धर्मपाल के हस्ताक्षर करवाये। शेष के अंगूठे लगवाये। उसके उपरांत लाश को एक कपड़े में रखकर सील कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया था। साक्षी ने पंचायतनामा शामिल पत्रावली **प्रदर्श क–2** देखकर कहा कि ये वही पंचायतनामा है, इस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16. अभियोजन की ओर से बतौर साक्षी **पी0डब्लू0–5 धर्मपाल** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मृतक महेन्द्र कश्यप उसका तहेरा भाई था। वह गांव के अशोक मौर्या एवं बनवारी लाल मौर्या के साथ मिलकर जमीन की खरीद फरोख्त के दलाली करते थे। दलाली से जो पैसा मिलता था उसमें से गाड़ी खर्चा निकालने के बाद तीनों आपसे में पैसे बांट लेते थे। मृतक महेन्द्र कश्यप ने ग्राम बचेरा थाना अलीगंज के टिंकू उर्फ लालता प्रसाद के साथ मिलकर गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी टिंकू के नाम थी वही चलाता था। अशोक मौर्या के चाचा रामचन्द्र ने दीपक प्रधान को कुछ जमीन बेची थी। दीपक प्रधान ने उसे जमीन पर नींव खुदवाना चाही तो अशोक मौर्या ने नींव खुदने दी या नहीं, उसे नहीं मालूम। लेकिन दीपक प्रधान ने नींव खोदी थी। उसे नहीं पता कि मृतक महेन्द्र कश्यप ने दीपक प्रधान के नींव खोदने का विरोध किया या नहीं। यह बात सही है कि दीपक प्रधान उस जमीन पर सेलर नहीं लगा पाया। मुल्जिम छोटेलाल दीपक प्रधान के यहां अब से करीब 15–20 साल से रह रहा है, जो दीपक के घर का काम भी करता है। इस मुकदमे की घटना से पहले अभियुक्त छुटिया उर्फ छुटइया को पकड़वाने में महेन्द्र कश्यप पर वह शक करता था या नहीं। मेवाराम उसके पिता हैं। उसकी जानकारी में यह बात नहीं है कि मृतक महेन्द्र कश्यप की लाश बबूल के पेड़ पर लटकी मिलने से एक दिन पहले मेवाराम उसके पिता व छोटेलाल महेन्द्र कश्यप को लेकर कहीं गये हों। मृतक महेन्द्र कश्यप से अभियुक्तगण छोटे लाल व छुटिया उर्फ छुटइया की कोई रंजिश नहीं थी। पुलिस ने उसके सामने गमछा, मोबाइल, मृतक महेन्द्र एवं मिट्टी सादा व खूनालूदा कब्जे में नहीं लिया।

17. अभियोजन की ओर से बतौर साक्षी **पी0डब्लू0–6 डॉ0 टी0एस0 आर्य** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 22.08.2014 को उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस पर थी। उस दिन मृतक महेन्द्र को कां. खूबचन्द लेकर पोस्टमार्टम पर आए थे, जिसकी शिनाख्त दीपक एवं इतवारी लाल द्वारा की गयी थी। मृतक

का शव का सामान्य परीक्षण–लम्बाई 167 सेमी, औसत कद–काठी जिसके मुंह से उल्टी किया हुआ पदार्थ निकल रहा था, नाक से निकल रहा था। मृतक की इंजरी गर्दन के ऊपर की ओर एक लिग्लेचर थी, जो 7 सेमी दायें कान के नीचे थी और थोड़ी सी 5 सेमी नीचे की ओर, 3 सेमी बायीं कान से नीचे की ओर लगा था 34 सेमी आकार था गर्दन के नीचे लिग्लेचर का मार्क था, जिसके मार्जिन पर ...... था। **चोट नं0–2** फोरहेड या माथे के बीच में खरोंच का निशान 3 X 2 सेमी आकार का था। **चोट नं0–3** खरोच का निशान 11 X 10 सेमी छाती के दायीं ओर निपल के नीचे की ओर था। **चोट नं0–4** खरोंच का निशान 4 X 3 सेमी अग्रभुजा के ऊपर की ओर एकदम कोहनी से नीचे की ओर मौजूद था। **चोट नं0– 5** खरोच का निशान बायीं कलाई पर 4 X 3 सेमी के आकार का मौजूद था। **चोट नं0–6** खरोंच का निशान 3 X 2 सेमी बायें हाथ के ऊपर मौजूद था और बायें हाथ की तर्जनी मध्य में मौजूद था। **चोट नं0–7** खरोंच का निशान 13 X 4 सेमी आकार का दायीं भुजा के ऊपर मौजूद था। **चोट नं0–8** बहुसंख्यक खरोंच के निशान 12 X 5 सेमी दायें हाथ के ऊपर तथा कलाई के ऊपर मौजूद था।

पी0डब्लू0–6 डॉ0 टी0एस0 आर्य के अनुसार आंतरिक परीक्षण–सिर में झिल्लियां रक्त वाहिनी मस्तिष्क कंजेस्टेड थे। श्वास नली कंजेस्टेड थी। प्लुरल कैपिटी दाहिना हाथ कंजेस्टेड थे। हार्ट में दायां चैम्बर खाली था, बायां फुल था। पेट में 100 एम.एल. डाइजेस्टिव पेस्टी फूड मैटेरियल था। पेट की न्यूकेमा कंजेस्टेड थी। छोटी आंत व बड़ी आंत कंजेस्टेड थी। लिवर का वजन 120 ग्राम, स्पिलिन का वजन 80 ग्राम था। दायां व बायां गुर्दा कंजेस्टेड थे। पेशाब की थैली खाली थी।

पी0डब्लू0–6 डॉ0 टी0एस0 आर्य की राय में शव की मृत्यु लगभग एक दिन पूर्व होना संभव थी। मृतक की मृत्यु पूर्व चोटों के कारण दम घुटने की वजह से हुई। विसरा प्रिजर्व किया। शव के ऊपर एक धोती, एक कच्छा, एक राखी बरामद हुई, जिसको कि उसने सीलबंद करके कां. खूबचन्द को दे दिया था। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए **प्रदर्श क–5** के रूप में साबित किया है।

18. अभियोजन की ओर से बतौर साक्षी **पी0डब्लू0–7 सेवानिवृत्त पुलिस उ0नि0 अनवर खलील** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 22.08.2014 को वादी मुकदमा श्री जुगेन्द्र लाल की सूचना पर दर्ज मु०अ०सं०–122/2014, धारा 302 भा0द0सं0 बनाम अज्ञात के आधार पर वह तथा थानाअध्यक्ष

अलीगंज एवं हमराही कर्मचारीगण एवं जीप सरकारी एवं चालक के साथ मौके पर घटना स्थल ग्राम मंडोरा के जंगल में पहुंचा और मृतक राम महेन्द्र के शव का पंचायतनामा थानाध्यक्ष के निर्देशन में उसके द्वारा भरा गया था। पंचायतनामे की कार्यवाही 09.00 ए0एम0 पर प्रारंभ कर 10.00 ए0एम0 पर समाप्त की गई। मौके पर उपस्थित लोगों में से पंचान नियुक्त कर उनकी राय जानी गई। सभी ने अपनी राय व्यक्त की कि मृतक महेन्द्र की हत्या करके शव को पेड़ पर लटका दिया गया है। उसकी राय में भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था। शव का भली–भॉति निरीक्षण कर तथा विवरण पंचायतनामें मे अंकित कर शव को सील मोहर कर विच्छेदन हेतु मोरचरी मुख्यालय जिला बरेली भेजा गया था। साक्षी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामा को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की गयी है, जिसपर **प्रदर्श क–2** पूर्व से ही अंकित है। उसके द्वारा पंचायतनामा के साथ अन्य प्रपत्र भी तैयार किए गए थे जो पत्रावली पर क्रमशः कागज सं० 11क/1 नमूना मोहर, कागज सं० 12क/1 फोटो लाश, कागज सं० 13क/1 चालान लाश, कागज सं० 14क/1 रिपोर्ट आर०आई०, कागज सं० 14क/2 रिपोर्ट सी०एम०ओ० शामिल है, जो सभी उसके लेख व हस्ताक्षर में तैयार किए गए है। साक्षी ने सभी प्रपत्रों पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–6 लगायत प्रदर्श क–10** डाला गया। विवेचक ने उसके बयान दिनांक 25.08.2014 को थाना हाजा अलीगंज पर लिया था।

19. अभियोजन की ओर से बतौर साक्षी **पी0डब्लू0–8 निरीक्षक राजेश यादव** को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 22.08.2014 को वह थाना अलीगंज पर थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। उस दिन उसने मु०अ०सं० 122/14 धारा 302 भा0दं0सं0 पंजीकृत थाना अलीगंज सरकार बनाम अज्ञात की विवेचना ग्रहण की। उस दिन उसके द्वारा नकल चिक, नकल रपट का विवरण अंकित किया गया तथा एफ०आई०आर० लेखक एच०एम० नवाब सिंह बयान वादी जुगेन्द्र सिंह अंकित किया गया तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर नक्शा–नजरी तैयार किया गया। मौके पर मौजूद समायी साक्षी नन्हे व कुंवरसेन के बयान सी०डी० में अंकित किए गए। साक्षी द्वारा पत्रावली पर शामिल नक्शा–नजरी को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए **प्रदर्श क–11** के रूप में साबित किया है। मौके पर घटना स्थल से खून आलूदा व सादा मिट्टी कब्जे पुलिस में लेकर रूबरू गवाहान जुगेन्द्र व धर्मपाल के समक्ष फर्द मौके पर तैयार की गई। लिख पढ़कर गवाहान को सुनाकर उस पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाए गए थे तथा टीन के डब्बे में अलग–अलग सफेद कपड़े में रखकर सील मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। साक्षी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध फर्द को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन करते

हुए एवं गवाहान के हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए फर्द को **प्रदर्श क–12** के रूप में साबित किया गया है। मौके से ही एक गमछा आधा–आधा फटा हुआ जिसके दोनों किनारों पर जोड़कर गांठ लगी हुई थी। काली किनारों पर धारी बनी हुई थी। खून लगा था व एक मोबाइल सैमसंग रंग नीला जिसमें 9927967672 नम्बर की सिम पड़ी थी जो मृतक महेन्द्र का था, जिसे कब्जे पुलिस में लेकर रूबरू गवाहान उसके द्वारा फर्द की लिखा पढ़ी कर गमछा को पन्नी में रखकर एक सफेद कपड़े में सील मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया तथा मोबाइल की चिटबंदी की गई। फर्द गवाहान को पढ़कर सुनाकर, गवाहान के हस्ताक्षर करवाए गए थे। साक्षी द्वारा फर्द बावत कब्जा लेने गमझा व मोबाईल को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए फर्द को **प्रदर्श क–13** के रूप में साबित किया गया है। दोनों फर्द बरामदगी का विवरण उसके द्वारा अंकित किया गया तथा फर्द गवाह धर्मपाल एवं मजीद बयान गवाह वादी जुगेन्द्रपाल के बयान अंकित किए गए। दिनांक 23.08.2014 को उसके द्वारा बयान मृतक की माँ श्रीमती ओमवती तथा मृतक के पिता राम भरोसे कश्यप एवं अजय सिंह के बयान अंकित किए। दिनांक 25.08.2014 को मृतक महेन्द्र का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का विवरण अंकित किया गया तथा पंच गवाह दीपक कुमार, जुगेन्द्रपाल, मेवाराम, बिशनलाल, धर्मपाल के बयान अंकित किए गए। दिनांक 26.08.2014 को मृतक महेन्द्र के पिता रामभरोसे द्वारा मृतक के खिलाफ एन०सी०आर० नं० 55/14 धारा 323, 504 भा0दं0सं0 दिनांक 29.04.2014 को पंजीकृत एन०सी०आर० की नकल अंकित की गई। उसके बाद बयान सी०सी० 1490 सोनेलाल वर्मा के बयान अंकित किए गए। दिनांक 28.08.2014 को स्वतंत्र साक्षी टिंकू उर्फ ललित किशोर मौर्या व महेन्द्र कश्यप पुत्र श्री हरद्वारी कश्यप के बयान अंकित किए गए। दिनांक 31.08.2014 को बयान स्वतंत्र गवाह निसार खां, राम बहादुर सक्सेना के अंकित किए गए। दिनांक 03.09.2014 को बयान अशोक मौर्या, बयान गवाह श्री बनवारी लाल मौर्या के अंकित किए गए थे। दिनांक 09.09.2014 को बयान गवाह नूर मोहम्मद, राजेश, गुड्डू तथा मजीद बयान उपनिरीक्षक श्री अनवर खलील व कॉ० खूबचंद के अंकित किए गए थे। दिनांक 13.09.2014 को मोबाइल नं० 9720321397, 7500941777, 8979352385, 8650577843, 7351871162, 9762684045 की सी०डी०आर० का मिलान मृतक के मोबाइल नं० 9927567672 से किया गया तो कोई भी रात्रि में वार्ता का मिलान होना नहीं पाया गया। दिनांक 16.09.2014 को मोबाइल नं० 9720714064 अजय यादव, 9760365231 टिंकू, 8006922515 तथा 8650061290 के मोबाइल नं० की सी०डी०आर० तथा कैफ आई०डी० प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। दिनांक 23.09.2014 को बयान स्वतंत्र गवाह कुंदन लाल, रामपाल के अंकित किए गए थे। दिनांक 24.09.2014 को बयान

स्वतंत्र गवाह मैकूलाल के अंकित किए गए थे। दिनांक 28.09.2014 को बयान गवाह श्री मेवाराम, श्री धर्मपाल, श्री धर्मेन्द्र, जोगेन्द्र सिंह के अंकित किए गए थे। दिनांक 29.10.2014 को एच०एस० छोटे उर्फ छुटिया की जानकारी करने का किता दिया गया। दिनांक 30.09.2014 को बयान गवाह वीरपाल के अंकित किए गए। दिनांक 08.10.2014 को बयान गवाह राम बहादुर के अंकित किए गए थे। दिनांक 13.10.2014 को अब तक की तमामी विवेचना अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण छोटेलाल पुत्र आसेराम निवासी ग्राम जोगीठेर थाना अलीगंज जनपद बरेली हाल पता C/O दीपक प्रधान ग्राम मंडोरा थाना अलीगंज जिला बरेली तथा छुटिया उर्फ छुटईया पुत्र पुखीराम निवासी मंडोरा थाना अलीगंज जिला बरेली के नाम प्रकाश में आने पर पर्चा किता किया गया था। दिनांक 18.10.2014 से 11.11.2014 तक अभियुक्तगण हेतु दबिश देने के किता किए गए है। दिनांक 11.11.2014 को अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय की अनुमति से एन०बी०डब्लू० जारी किए गए थे। दिनांक 13.11.2014 से 22.11.2014 तक अभियुक्तगण की पतारसी सुरागरसी किता किया गया था। दिनांक 22.11.2014 को अभियुक्तगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय से जारी एन०बी०डब्लू० को अदम तामील वापिस करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 82 दं0प्र0सं0 का घोषणा पत्र जारी कराने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। दिनांक 23.11.2014 को उपरोक्त मुकदमे की विवेचना श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली के आदेशानुसार एस०सी०यू० (क्राइम ब्रांच) जनपद बरेली स्थानान्तरण का पर्चा तथा बयान कॉ० 189 बाबूराम के बयानों का किता किया गया था तथा उपरोक्त मुकदमें से संबंधित माल वास्ते परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ कॉ० 189 बाबूराम के द्वारा क्रम सं० 9600 पर दि०21.11.2014 को दाखिल किया गया था जिसकी रसीद पत्रावली पर शामिल है। दिनांक 16.03.2015 को समय 06.05 ए0एम पर अभियुक्त छोटेलाल को उसके द्वारा उसके मकान से गिरफ्तार किया गया था। उसके द्वारा गिरफ्तारी प्रपत्र 01 व 02 तैयार किए गए थे। गिरफ्तारी की सूचना धर्मेन्द्र कुमार को दी गई थी। गिरफ्तारी प्रपत्र पर अभियुक्त छोटेलाल का निशानी अंगूठा लगवाया था तथा धर्मेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवाए थे। गिरफ्तारी उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर उसकी सील मोहर लगी हुई है। साक्षी ने गिरफ्तारी प्रपत्र 01 व 02 पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए **प्रदर्श क–14** के रूप में साबित किया है। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल मुकदमाती सीलबंद अवस्था में न्यायालय लाया गया। माल सफेद मारकीन के कपड़े सीलबंद है। मारकीन के कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया, जिसे न्यायालय की अनुमति से खोला गया। उसके अंदर से सीलबंद अवस्था में सफेद कपड़ों में अलग–अलग दो टीन के डिब्बे निकले। सफेद कपड़े पर मुकदमे से

सम्बन्धित इबारत अंकित है, कपड़ों पर **वस्तु प्रदर्श–2** व **वस्तु प्रदर्श–3** डाला गया। उसके अंदर टीन की डिब्बियों में एक में मिट्टी खून आलूदा व एक में मिट्टी सादा पायी गयी। डिब्बियों पर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–4** व **वस्तु प्रदर्श–5** डाला गया। एक गमछा आधा–आधा फटा हुआ, जिसके किनारे में जोड़कर गॉठें लगीं हैं। गमछे में किनारी काले रंग की है और जिस पर खून लगा है। गमछे पर **वस्तु प्रदर्श–6** डाला गया। मौके पर बरामद मोबाइल सैमसन रंग नीला जिसमें 9927967672 नंबर की सिम पड़ी थी, जो मृतक महेन्द्र से सम्बन्धित था और मौके से बरामद हुआ था, के सम्बन्ध में थाना अलीगज के एच0एम0 द्वारा अवगत कराया गया कि मालखाने में काफी तलाशने के बावजूद नहीं मिला सका।

(IV)–: धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण का बयान :–

20. अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 06.06.2026 को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में अभियोजन साक्षीगण द्वारा किये गये कथनों को झूठा और गलत अभिकथित करते हुए गलतफहमी व रंजिश के आधार पर मुकदमा चलने का उल्लेख किया है। अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त कथन किया गया कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। दिनांक 15.07. 2026 को अभियुक्तगण का अतिरिक्त बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया।

21. उपरोक्तानुसार उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभिलिखित करने के उपरान्त उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

(V)–: अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क :–

22. अभियोजन की ओर से **श्री रीतराज राजपूत, प्रभारी, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्ष्य द्वारा मृतक की हत्या होना, मृतक का शव पेड़ से लटकते हुए पाया जाना, मृतक की हत्या कारित करने से पूर्व उसके शरीर पर आपराधिक बल प्रयोग के तथ्य संदेह से परे साबित हैं। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह तथ्य भी साबित है कि अभियुक्तगण को ही हत्या करने का आशय था और अभियुक्तगण द्वारा ही उनकी हत्या कारित की गयी है। इस प्रकार अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये।

(VI)–: बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क :–

23. बचावपक्ष की ओर से उपस्थित अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता **कौशर हुसैन, एडवोकेट** द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1

जुगेन्द्र, पी0डब्लू0–2 मेवाराम, पी0डब्लू0–4 दीपक व पी0डब्लू0–5 धर्मपाल ने मृतक का शव पाये जाने और उसके स्थान के संदर्भ में साक्ष्य दी है। मृतक के घर से जाने के समय को भी साबित किया गया है और मृतक के व्यवसाय के कारण और उसकी सामाजिक गतिविधियों की वजह से अभियुक्तगण से रंजिश होने का कथन भी किया गया है लेकिन अभियुक्तगण द्वारा मृतक के साथ मारपीट करने या उसकी हत्या करने या उसे गले से बांधकर पेड़ से लटकाने के कृत्य किये जाने का कोई भी चश्मदीद साक्षी नहीं है। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है जिसमें मात्र रंजिश के तथ्य को साक्षीगण ने अभिकथित किया है लेकिन घटना के समय या घटना से पूर्व अभियुक्तगण को मृतक के साथ देखे जाने और उक्त समय के तुरंत उपरांत मृतक की हत्या होना अभिकथित नहीं किया है। अभियुक्तगण की निशानदेही से ऐसी कोई वस्तु भी बरामद नहीं हुई है जो उन्हें मृतक की हत्या की घटना से सम्बद्ध करती हो। इस प्रकार अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य हैं। अतः अभियुक्तगण छोटेलाल व छुटिया उर्फ छुटइया को दोषमुक्त किया जाये।

24. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया।

<u>(VII) –: आरोपित अपराध का निर्वचन :–</u>

25. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपठित 34 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया गया है।

26. धारा 302 भा0दं0सं0 के अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्धि हेतु अभियोजन द्वारा सन्देह से परे यह साबित करना है कि मृतक की मृत्यु वह आपराधिक मानव वध है, जो हत्या है। उक्त मानव वध हत्या की श्रेणी में लाने के लिए अभियोजन को यह साबित करना है कि अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य मृतक की मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया अथवा अभियुक्त द्वारा ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से कृत्य किया गया जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य हो। इसी प्रकार अभियुक्त द्वारा मृतक को शारीरिक क्षति करने के आशय से कोई कृत्य किया गया हो और वह शारीरिक क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अलावा यदि अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य इतना आसन्न संकट हो कि मृत्यु कारित कर ही देगा, की पूरी अधिसम्भाव्यता उत्पन्न हो या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर देगा जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य हो।

27. **<u>धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता</u>** के अपराध को साबित करने के लिए

अभियोजन द्वारा यह साबित करना है कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

(VIII)–: साक्ष्यों का विश्लेषण :–

28. वर्तमान मामले में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 21.08.2014 को मृतक रात्रि 09.00 बजे अपने घर वापस आया और वादी पी0डब्लू0–1 जुगेन्द्र को यह कहकर घर से रात्रि 10.00 बजे चला गया कि अभी वापस आता हूं लेकिन वह वापस नहीं आया। सुबह पता चला कि ज्वाली पुत्र कढ़ेराम के धान के खेत में बबूल के पेड़ से लटका हुआ शव पाया गया जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा मृतक का पंचनामा कराया गया और शव परीक्षण कराया गया। दौरान विवेचना साक्षीगण द्वारा अभियुक्तगण और मृतक के मध्य रंजिश के कथानक का वर्णन किया गया। इसके पश्चात् रामबहादुर सक्सेना पुत्र छेदालाल, निसार खां पुत्र इल्ला खां, सलीम पुत्र हबीब, जमील शाह पुत्र रफीक शाह, नमन पुत्र खेमकरन, ओमप्रकाश पुत्र पूरनलाल आदि के बयान अंकित किये गये जिन्होंने अभियुक्तगण द्वारा उनके सामने न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति किये जाने की साक्ष्य दी। तत्पश्चात् अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया और उनकी स्वीकारोक्ति अंकित की गयी। उक्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। यहां पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि उपरोक्त किसी भी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं किया गया है।

29. उपरोक्त कथानक से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा वाद को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर योजित किया गया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन को वाद साबित करने के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन **शरद चन्द्र विरधि चन्द्र सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य ए0आई0आर0 1984 एस0सी0 1622** में किया गया है जो कि निम्नवत् है–

> **''1. दोषसिद्धि के समर्थन में जिन परिस्थितियों पर निर्भर होना है उन्हें संदेह से परे साबित किया जाना आवश्यक है तथा तथ्य को निर्मित करने वाली परिस्थितियों की श्रंखला इस प्रकार अटूट होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता से सुसंगत कोई युक्तियुक्त आधार शेष न हो।**
>
> **2. परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे अकाट्य निष्कर्ष निकलता हो कि समस्त मानव अधिसंभाव्यता के अनुसार अपराध अभियुक्त के द्वारा ही किया गया है अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं।**

3. यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य में दो मत निकलते हों तो उन्हीं अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए जिनके संदर्भ में स्पष्ट मत हो शेष को संदेह का लाभ देना चाहिए।

4. यह आवश्यक है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त द्वारा सुझाई गयी प्रत्येक परिकल्पना का खंडन कर सके चाहे परिकल्पना कितनी भी काल्पनिक हो।

5. परिस्थितिजन्य साक्ष्य न सिर्फ अभियुक्त की दोषिता से सुसंगत हो अपितु यह अभियुक्त की निर्दोषिता के प्रतिकूल हो।

6. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में न्यायालय को इस खतरे से बचना चाहिए कि कल्पना या संदेह वैध सबूत का स्थान नहीं ले सकता।

30. चिक तहरीर के अनुसार घटना दिनांक 21.08.2014 की रात्रि 10.00 बजे के बाद घटित हुई और इस बिन्दु पर इस साक्षी से बचाव पक्ष की तरफ से कोई जिरह नहीं की गयी है। उल्लेखनीय है कि मृतक का पंचनामा दिनांक 22.08.2014 को 08.20 ए0एम0 पर थाने पर सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उसी दिन 09.00 एम0एम0 पर प्रारंभ किया गया और 10.00 ए0एम0 पर समाप्त किया गया। इस घटना की प्रथम सचना रिपोर्ट दिनांक 22.08.2014 को 08.20 ए0एम0 पर ही दर्ज हुई जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट और कायमी जी0डी0 को पी0डब्लू0–2 उ0नि0 नवाब सिंह द्वारा साबित किया गया है और इस साक्षी से भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के संदर्भ में कोई जिरह नहीं की गयी है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज हुई है।

31. तहरीर में यह अंकित है कि महेन्द्र के शव को ज्वाली के धान के खेत में बबूल के पेड़ से लटकने की जानकारी वादी को 22.08.2014 की सुबह हुई और थाने से घटनास्थल की दूरी 04 किलोमीटर है।

32. शव परीक्षण आख्या को पी0डब्लू0–6 डॉ0 टी0एस0 आर्या द्वारा साबित किया गया है जिसके अनुसार शव परीक्षण 22.08.2014 को 03.05 पी0एम0 बजे शाम को प्रारंभ किया गया और 03.30 पी0एम0 पर समाप्त किया गया। चिकित्सक की राय में मृतक की मृत्यु लगभग एक दिन पूर्व हुई। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य से मृतक की मृत्यु 21.08.2014 को दोपहर 03.00 बजे होना संभावित है लेकिन मृतक की मृत्यु के उपरोक्त संभावित समय में दोनों तरफ पाये जाने वाले समयांतराल के दृष्टिगत यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि मृतक की मृत्यु

21.08.2014 को रात्रि 10.00 बजे के बाद ही हुई।

33. पी0डब्लू0–3 मेवाराम की मुख्य परीक्षा में महेन्द्र कश्यप से अभियुक्तगण की रंजिश के कथनों को अभिकथित किया गया है और मृतक के शव को पाये जाने की साक्ष्य दी गयी। इसी प्रकार पी0डब्लू0–4 ने शव को पाये जाने और उसके संदर्भ में पंचायतनामें की कार्यवाही को साबित किया है। पी0डब्लू0–5 धर्मपाल ने मृतक और अभियुक्तगण के मध्य रंजिश के कथनों को अभिकथित किया है। पी0डब्लू0–7 पुलिस उ0नि0 अनवर खलील ने मृतक के पंचायतनामें की साक्ष्य दी है।

34. उपरोक्त समस्त साक्ष्य के सम्यक् मूल्यांकन से यह निष्कर्ष संदेह से परे अभिनिर्धारित होता है कि मृतक की मृत्यु दिनांक 21.08.2014 की रात्रि 10.00 बजे के बाद ज्वाली पुत्र कढ़ेराम के धान के खेत में हुई और घटना का खुलासा अगले दिन सुबह होने पर अविलंब उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी गयी। विचारणीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध दर्ज हुई। अतः यदि यह अवधारणा भी की जाये कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब कारित हुआ तो भी इस आधार पर अभियोजन कथानक के विपरीत निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपसी सलाह–मशविरा या षड्यंत्र के आधार पर किसी को नामजद नहीं किया गया है।

35. मृत्यु के कारण के संदर्भ में पी0डब्लू0–6 डॉ0 टी0एस0 आर्या ने मृतक के शरीर पर पायी गयी 08 चोटों को साबित किया है जिसमें से **एक चोट** गले के चारों तरफ लाईगेचर मार्क के रूप में पायी गयी है और **दूसरी चोट** माथे पर सामने की ओर खरोचदार निशान, **तीसरी चोट** छाती के दांयी ओर निप्पल के नीचे खरोचदार निशान, **चौथी चोट** अग्र भुजा के ऊपर कोहनी के नीचे खरोचदार निशान, **पांचवी चोट** बांयी कलाई पर खरोच का निशान, **छठी चोट** बांये हाथ के ऊपर तर्जनी के मध्य में खरोच का निशान, **सातवीं चोट** दाहिनी भुजा पर खरोच का निशान और **आठवीं चोट** दाहिने हाथ की कलाई पर कई खरोच के निशान के रूप में पायी गयी। चिकित्सक की राय में मृत्यु पूर्व चोटों के कारण दम घुटने की वजह से मृतक की मृत्यु हुई है। दौरान जिरह साक्षी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जो उसकी उपरोक्त राय को संदेह के घेरे में लाता हो। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे साबित है कि मृतक की मृत्यु गले से लटकने के कारण दम घुटने से हुई। उक्त कृत्य हत्या की श्रेणी में आता है।

36. अभियुक्तगण से मृतक की रंजिश के संदर्भ में पी0डब्लू0–3 मेवाराम और पी0डब्लू0–5

धर्मपाल ने कथन किया है। दोनों ही साक्षीगण ने दीपक प्रधान द्वारा क्रय की गयी जमीन पर खुदाई न करने में दूसरे पक्ष का मृतक द्वारा सहयोग किये जाने और दीपक प्रधान के यहां अभियुक्त छोटे लाल द्वारा लंबे अर्से से रहकर काम करने के कथन किये हैं। इसके अलावा यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त छुटिया उर्फ छुटइया को पुलिस द्वारा उसके पुत्र के विवाह के दिन मृतक की सूचना के कारण गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अपराध में आशय की मुख्य भूमिका होता है। विषम परिस्थिति में आशय न होने पर भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की संलिप्तता का एक मात्र निष्कर्ष अभिनिर्धारित होने पर उसे दोषसिद्ध किया जा सकता है लेकिन जहां रंजिश का कथन किया गया है उस मामले में अभियोजन द्वारा रंजिश को साबित किया जाना आवश्यक है।

37. इस मामले में दोनों साक्षीगण ने रंजिश का कथन किया है। पी0डब्लू0–3 मेवाराम ने दौरान जिरह यह कथन किया है कि हम कश्यप विरादरी के हैं। मुल्जिम व मृतक व मैं कश्यप विरादरी के हैं। चुनाव जो मैंने ऊपर बताया है उसमें रामबहादुर के अलावा मेंहदी हसन भी कन्डीडेट थे। उन्हें तीन सौ वोट मिले थे और राम बहादुर को एक सौ तीस वोट मिले थे। **मुझे मुल्जिमान और मृतक के बीच रंजिश के बारे में नहीं पता है। मैंने सुनी सुनायी बात पर बयान दिया है।** इस मुकदमें से सम्बन्धित प्रकरण से सम्बन्धित कोई भी प्रक्रिया मेरे सामने की नहीं है। सैकड़ों लोग मेरे साथ खेत पर उसकी लाश देखने गये थे। **मेरे सामने मुल्जिमान और मृतक के बीच कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई जिसे देखकर मैं कहूं कि ये रंजिश मानते थे।** मेरा दरोगा जी ने कोई बयान नहीं लिया।

38. दौरान जिरह कथित उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि साक्षी पी0डब्लू0–3 मेवाराम ने रंजिश की साक्ष्य के कथन सुनी सुनाई बातों के आधार पर अभिकथित किये हैं।

39. पी0डब्लू0–5 धर्मपाल से अभियोजन द्वारा भी जिरह की गयी और बचाव पक्ष द्वारा भी जिरह की गयी। अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया। गवाह को उसका 161 दं0प्र0सं0 का सुनाया गया तो गवाह ने कहा मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया। कैसे लिख लिया, वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान से समझौता हो जाने के कारण मैं आज अदालत में सही बात न बताकर गलत बयानी कर रहा हूं। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि मैं आज अदालत में अपनी स्वेच्छा से और किसी दबाव के बयान दे रहा हूं।

40. साक्षी धर्मपाल द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये रंजिश के तथ्य को बचाव पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है। इस प्रकार पी0डब्लू0–5 धर्मपाल के निर्विवाद कथनों के आधार पर तथा उसके कथनों का उल्लेख पी0डब्लू0–3 मेवाराम द्वारा अपनी साक्ष्य में अभिकथित किये जाने की परिस्थिति के अंतर्गत यह साबित होता है कि मृतक और अभियुक्तगण के मध्य रंजिश थी और उस तथ्य को अभियोजन द्वारा संदेह से परे साबित किया गया है।

41. पी0डब्लू0–1 जुगेन्द्र ने मृतक के घर से जाने और उसके बाद अगले दिन सुबह शव पाये जाने की साक्ष्य दी है और दौरान जिरह यह स्पष्ट कथन किया है कि इस प्रकरण की कोई भी घटना उसके सामने की नहीं है न ही मुल्जिमान छोटेलाल व छुटिया उर्फ छुटइया ने उसके सामने उसके भाई की हत्या की है। पी0डब्लू0–3 मेवाराम की उपरोक्त वर्णित जिरह में भी यह आया है कि इस मुकदमें से सम्बन्धित प्रकरण की कोई भी प्रक्रिया उसके सामने की नहीं है। पी0डब्लू0–4 दीपक कुमार ने पंचायतनामें की कार्यवाही की साक्ष्य दी है। पी0डब्लू0–5 ने मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करते हुए देखे जाने या अभियुक्तगण को मृतक के साथ अंतिम बार मृत्यु से ठीक पूर्व देखे जाने की साक्ष्य नहीं दी है।

42. यहां पर यह भी उल्लिखित करना उचित होगा कि विवेचक ने न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति की साक्ष्य संकलित की है लेकिन अभियोजन द्वारा उक्त तथ्य के साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

43. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा मृतक की मृत्यु दिनांक 21.08.2014 को रात्रि 10.00 बजे के बाद ज्वाली पुत्र कढ़ेराम के धान के खेत में होना, घटना का खुलासा अगले दिन सुबह होना, घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलंब दर्ज कराना, मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व गला घोटने के कारण होना संदेह से परे साबित है। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण और मृतक के मध्य रंजिश के तथ्य को विश्वसनीयता के स्तर तक साबित किया गया है लेकिन अभियुक्तगण द्वारा मृतक की हत्या कारित करने की परिस्थिति साक्ष्य और अभियुक्तगण को मृतक के साथ अंतिम बार मृत्यु से ठीक पूर्व देखे जाने की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और यह तथ्य भी साबित नहीं है। अभियुक्तगण के साथ मृतक को देखे जाने के बाद किसी अन्य का दोनों के मध्य प्रवेश नहीं हो सकता। यहां तक कि विवेचना के दौरान संकलित न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति को भी अभियोजन द्वारा दौरान विचारण साबित नहीं किया गया है।

44. उपरोक्त समस्त विवेचना से स्पष्ट है कि घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियोजन प्रस्तुत करने में पूर्णतः

विफल रहा है।

45. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि सत्र परीक्षण सं0–255/2016 में अभियुक्तगण छोटेलाल व छुटिया उर्फ छुटइया धारा 302 सपठित 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

46. अभियुक्त **छोटेलाल** व **छुटिया उर्फ छुटइया** को सत्र परीक्षण सं0–255/2016, मु0अ0सं0 122/2014, थाना अलीगंज, जिला बरेली के मामलें में धारा 302 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

47. अभियुक्तगण **छोटेलाल** व **छुटिया उर्फ छुटइया** उपरोक्त प्रकरण में दौरान विचारण जमानत पर रहे हैं। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

48. अभियुक्तगण उपरोक्त को निर्देशित किया जाता है कि धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उपरोक्त अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा 50,000/– रू0 के स्वबंध पत्र तथा समान धनराशि के एक–एक प्रतिभू निर्णय की तिथि से 15 दिन के भीतर दाखिल करें। उक्त बंधपत्र निर्णय की तिथि से 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

दिनॉकः 16.07.2026

(प्रदीप कुमार सिंह–II)
जे0ओ0 कोड– यू0पी0 1905
सत्र न्यायाधीश
बरेली।

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनॉकः 16.07.2026

(प्रदीप कुमार सिंह–II)
जे0ओ0 कोड– यू0पी0 1905
सत्र न्यायाधीश
बरेली।

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2026.07.16 16:57:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court